व्यावसायिक नैतिकता के वक्तव्य

कार्यपालिका द्वारा अपनाई गई
17 अगस्त 2010

पैरामैटा सिटी काउंसिल
30 डारसी स्ट्रीट पैरामैटा एन.एस.डबल्यू 2150
पी ओ बाक्स 32 पैरामैटा एन.एस.डबल्यू 2124
फोन 02 9806 5000 फैक्स 02 9806 5917 DX B279 पैरामैटा
ABN 49 907 174 773 www.parracity.nsw.gov.au

मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तावना

पैरामैटा सिटी परिषद हमारे समुदाय के प्रति सत्यनिश्ठा, कार्यकुशलता, खुलेपन एवं निष्पक्षता के साथ काम–काज करने हेतु वचनबद्ध है। कार्य संचालन में हम हमारे समुदाय के लिए लोक कर्तव्य को हमारे निजी हित के आगे रखेंगें। पैरामैटा शहर के लोग एवं परिषद के संपर्क में आने वाले लोग इस से कुछ भी कम की उम्मीद नहीं करते हैं।

परिषद की रणनीतिक दिशा को सिद्धांतों के संधारणीयता जिसमें आचार, साम्या एवं मूल अधिकार शामिल हैं का समर्थन हैं। आचार को इस प्रकार परिभाषित किया गया है –– नैतिकता, ईमानदारी, दया, सत्यनिष्ठा के साथ कार्य करना, तथा जिस समुदाय का हम प्रतिनिधित्व करते है उसके हित में कार्य करना।

परिषद का सुपुर्दगी कार्यक्रम "उच्चतम स्तर पर अच्छे शासन, टीमवर्क, ईमानदारी, खुलापन, जवाबदेही, काप्रयास, अनुपालन एवं विधान" के प्रति प्रतिबद्ध है ।

यह व्यावसायिक आचार वक्तव्य मार्गदर्शन उपलब्ध कराता है तथा यह बताता है कि परिषद् के साथ व्यवसाय से क्या आशाऐं रखनी चाहिए।

यह कि व्यवसाय सम्मिलित कर सकता है, माल की आपूर्ति एवं/अथवा सेवाऐं, ठेकेदारों का प्रयोग एवं/अथवा परामर्शदाताओं, विकास अनुप्रयोग पत्रों तथा अन्य व्यापार भागीदारियों एंव गठजोड़ों का मूल्यांकन।

हमारे साथ व्यापार करने में यह नैतिक मानक अतिरिक्त आवश्यकता नहीं हैं बल्कि स्वस्थ व्यापारिक व्यवहार का एक अभिन्न अंग हैं।

कर्मचारियों एवं प्रतिनिधियों (स्वयंसेवकों सहित) से अपेक्षा है कि वे उच्च स्तर के नैतिक आचरण का पालन करें एवं विधान तथा नैतिक आचार संहिता मानकों एवं प्रक्रियाओं के साथ अपने दायित्वों का निर्वाह करें। अतः, हम चाहते हैं कि परिषद् के साथ व्यापार करने में, अपने सभी आचरण में आप इस वक्तव्य का पालन करें ।

यदि आप महसूस करते हैं कि परिषद निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं है, कृपया मुझे सूचित करें या परिषद में सरकारी अधिकारी से निवेदन करें।

डॉ. राबर्ट लैंग
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

वक्तव्य

हमारे सामुदाय के लिए हमारे प्रमुख वचन

परिषद कर्मचारियों एवं प्रतिनिधियों के लिए आवश्यक है कि वे आचरण के सर्वोच्च मानकों को क़ायम रखें तथा समुदाय के प्रति निम्नलिखित मूल्यों का पालन करें।

ग्राहक सेवा एवं सत्यनिश्ठा

हम अपने ग्राहक की आवश्यकताओं को समझते एवं पूरा करते हैं तथा हम अपने कार्य को नैतिकता, न्यायपूर्वकता, ईमानदारी एवं सत्यनिश्ठा के साथ करने के प्रति वचनबद्ध हैं, हम अपने वायदे के अनुसार सुपुर्दगी करते हैं।

सहकारी टीमवर्क व जवाबदेही

हम एक साथ मिलकर काम करते हैं, पूरे संगठन में, हमारे उद्देश्य में संयुक्ता के साथ, एक–दूसरे की सलाह से, व्यक्तिगत शक्ति को पहचानते हुए, तथा टीम में अपने भाग का कार्य करते हैं। हम स्वंय को जवाबदेह मानते हैं, सफलताओं का उत्सव मनाते हैं, तथा अपनी भूल को स्वीकारते हैं और उससे सीखते हैं।

संपोषण एवं समुदाय केंद्र

हम हमारे नगर की सामाजिक, आर्थिक एवं पर्यावरणीय संपोषण की चिंता करते हैं तथा हमारा ध्यान हमारे समुदायों को अच्छे परिणाम देने पर केंद्रित है।

व्यावसायिक नैतिकता के वक्तव्य क्यों?

हमारे व्यावसायिक नैतिकता के वक्तव्य के पालन द्वारा आप अपने व्यापार के उद्देश्यों एवं हितों को उचित ढंग से तथा आचार–संहिता के साथ आगे बढाने में समर्थ होंगे। परिषद अपने व्यावसायिक सहयोगियों एवं आपूर्तिकर्ताओ से इस व्यावसायिक नैतिकता के वक्तव्य का अनुपालन करने की अपेक्षा करता है। अतः वक्तव्य के पालन से आप को हानि नहीं होगी।

हमारे साथ व्यापार के दौरान परिशद की आचार–संहिता की आवश्यकताओं का अनुपालन न करने के परिणामों के बारे में अवगत रहना महत्वपूर्ण है।

भ्रष्ट अथवा अनैतिक आचरण का परिणाम हो सकता हैः ––

- भ्रष्टाचार के लिए जांच
- मामलों को जांच के लिए निर्दिष्ट किया जाना
- ठेकों का समापन
- भविष्य में परिषद के अवसरों की हानि
- प्रतिष्ठा की हानि
- विकास की स्वीकृति की हानि

कर्मचारियों एवं प्रतिनिधियों के परिणामों में सम्मिलित हो सकते हैः ––

- जांच–पड़ताल
- अनुशासनिक कार्रवाई
- बरख़ास्तगी
- संभाविक आपराधिक आरोप।

आप हमसे क्या अपेक्षा कर सकते हैं

परिषद यह सुनिश्चित करेगा कि निविदा, संविदाकारी, सामान या सेवाओं की खरीदारी, से संबंधित उसकी सभी नीतियां, प्रक्रियाएं एवं प्रथाऐं, विकास आवेदन पत्रों के मूल्यांकन, परामर्शदाताओं एवं/अथवा ठेकेदारों का प्रयोग, तथा रणनीतिक भागीदार एवं प्रायोजकों की व्यस्तता सभी सर्वोच्च व्यवहार तथा नैतिक आचरण के उच्चतम मानदण्डों के अनुरूप हो।

कर्मचारी और प्रतिनिधी परिशद की आचार संहिता से बंधे हुए हैं। समुदाय अथवा गैर–सरकारी क्षेत्र के साथ व्यापार करते समय, कर्मचारी तथा प्रतिनिधी अपनी कार्यवाहियों के लिए उत्तरदायी हैं एवं उन से निम्मनलिखित की अपेक्षा की जाती हैः ––

- सत्यनिश्ठा
- नेतृत्व
- निस्वार्थता
- निष्पक्षता
- जवाबदेही
- खुलेपन
- ईमानदारी
- सम्मान

सत्यनिश्ठा को प्राप्त करने के लिए परिषद क्रय के सभी चरणों में, निविदा, संविदाकारी, साझेदारी, प्रायोजक एवं विकास आवेदन पत्रों, निम्मनलिखित आवश्यक प्रक्रियाओं का पालन करने पर विचार करेगी।

- प्रक्रिया की पारदर्शिता
- जवाबदेही
- हितों के टकराव का नैतिकता की दृष्टि से प्रबंध
- उत्तम गुण की प्राप्ति
- कार्य–निष्पादन की निगरानी एवं मूल्यांकन
- पर्यावरणीय व सामाजिक परिणाम

परिषद का व्यवहार पारदर्शी, जवाबदेह, तथा जहाँ तक संभव हो सकता है सार्वजनिक जांच–पड़ताल करने के लिए खुला होगा। तथापि, कई बार ऐसा होगा जब परिषद द्वारा गोपनीयता आवश्यक होगी।

हमारी आपसे आपेक्षा

वस्तुओं एवं सेवाओं के सभी संवेदकों, आवेदकों, परामर्शदाताओं, ठेकेदारों, मालिकों एवं विकास आवेदन पत्रों के आवेदकों तथा किसी भी व्यक्ति जो परिषद के साथ व्यापार कर रहा हो से हमारी अपेक्षा है कि वे निम्नलिखित सिद्धांतों का पालन करें।

- परिषद के साथ सभी आचरण में नैतिकता एवं ईमानदारी के साथ अधिनियमन।
- वास्तविक अथवा संभावित हित संघर्ष से अवगत होते ही तुरंत घोषित करना।
- परिषद की उपलब्धि नीतियों एवं प्रक्रियाओं का अनुपालन।
- आवश्यकताअनुसार सटीक एवं भरोसेमंद सूचना प्रदान करना।
- परिषद की गोपनीय सूचना के प्रकटन को रोकने के लिए सभी उचित कार्यवाही करना।
- कर्मचारियों एवं प्रतिनिधियों को प्रलोभन अथवा अनुचित रूप से उनके कर्तव्यों पर प्रभाव की दृष्टि से प्रोत्साहन सहित किसी भी प्रकार की धांधली प्रथा से दूर रहना।
- हमारे व्यवसायिक संबंधों में अनैतिक प्रथाओं को रोकने में परिषद की सहायता करना।

मार्गदर्शक टिप्पणी

भेंट, लाभ एवं आतिथ्य

कर्मचारियों अथवा प्रतिनिधियों को संभावित व्यावसायिक आचरण के संबंध में कोई भेंट, लाभ अथवा आतिथ्य की पेशकश नहीं की जानी चाहिए। इसी प्रकार, कर्मचारियों और प्रतिनिधियों को अपने काम के लिए व्यक्तिगत पुरस्कार या प्रोत्साहन की मांग करने की अनुमति नहीं है।

व्यापारिक सहयोगियों एवं आपूर्तिकर्ताओं को कर्मचारी अथवा प्रतिनिधी के किसी भी सदस्य द्वारा उपहार अथवा लाभ की अस्वीकृति के निर्णय का सम्मान करना चाहिये।

कर्मचारी एवं प्रतिनिधी सांकेतिक उपहार स्वीकार कर सकते हैं यदि स्वीकृति किसी प्रकार का दायित्व नहीं पैदा करती है। सभी बहुमूल्य उपहार परिषद के उपहार और लाभ बही में कर्मचारी द्वारा घोषित किए जाने चाहिए । जहां संभव हो बहुमूल्य उपहार अस्वीकार करने हेतु सभी प्रयास किए जाने चाहिए।

हित के संघर्ष

हित के संघर्ष अथवा संभावित हित के संघर्ष का कर्मचारियों एवं प्रतिनिधियों तथा (जहां उपयुक्त) हमारे व्यापारिक सहयोगियों एवं आपूर्तिकर्ताओं द्वारा लिखित रूप में खुलासा किया जाना चाहिए यह सुनिश्चित करने के लिए कि उनकी प्रक्रिया सार्वजनिक सूक्ष्म परीक्षण का सामना कर सकती है।

हित के संघर्ष तब अस्तित्व में आते हैं जब यह संभव होता है कि कोई कर्मचारी सदस्य या प्रतिनिधि अपने लोक कर्तव्य को चलाने में व्यक्तिगत हित द्वारा प्रभावित अथवा संभवतः प्रभावित हो सकता है।

वे हित के संघर्ष जो आंशिक रूप से निर्णय लेने को बढ़ावा देते हैं भ्रष्ट आचरण का गठन कर सकते हैं। हित के संघर्ष की अवधारणा उतनी ही महत्वपूर्ण हो सकती है जितना कि वास्तविक संघर्ष।

निगमित सूचना

परिषद् हमारे ग्राहकों एवं समुदाय के विषय में विशाल मात्रा में सूचना का निर्वाह करता है।

इस सूचना की रक्षा करना तथा अपनी प्रणाली में सत्यनिश्ठा बनाए रखने का दायित्व परिषद का है।

परिषद अपेक्षा करता है कि ग्राहक सभी सूचना का प्रयोग उचित रूप से करेंगें तथा सभी एकत्रित सूचना का प्रयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जाना चाहिए जिसके लिए उसका प्रावधान किया गया था।

गोपनीयता

सूचना जिसे गोपनीयता का महत्त्व है, या जो एक उचित व्यक्ति अपेक्षा करता है कि गोपनीय रखी जाए, इसी प्रकार मानी जाएगी। सूचना विभिन्न प्रारूप में हो सकती है तथा सरकार सूचना (जनता अभिगम्यता) अधिनियम 2009 जनता के लिए परिषद की सूचना तक पहुँचने की प्रक्रिया प्रदान करता है, कतिपय परिस्थितियों को छोड़कर।

परिषद अपने सभी आचरण में पारदर्शी है तथा किसी विषय से केवल परिषद बैठकों के बंद सत्र में स्थानीय सरकार अधिनियम की धारा 12 के अनुरूप निपटेगी।

बौद्धिक संपदा

परिषद के साथ व्यापार संबंधों में, सभी दल एक–दूसरे की बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करेंगे एवं किसी अभिगम्यता, अनुज्ञप्ति, अथवा बौद्धिक संपदा के प्रयोग से औपचारिक रुप से समझौता करेंगें।

बौद्धिक संपदा अधिकारों के अंतरण का समाधान संविदात्मक समझौते के माध्यम से संबोधित किया जायेगा।

विधायी व नीति संबंधी आवश्यकताऐं

सभी नीति तथा विधायी आवश्यकताओं का ठेका लेने अथवा सेवाओं या आपूर्ति के निवेदन, या अन्य व्यापार संबंधों से जुड़े कर्मचारियों, प्रतिनिधियों, व्यापार सहयोगियों एवं आपूर्तिकर्ताओं द्वारा पालन किया जाना चाहिए।

विकास आवेदन पत्र

विकास आवेदन पत्र के निर्धारण में अपनी औपचारिक भूमिका में परिषद को विधान में निर्धारित विषयों पर इस प्रकार विचार करना है जो खुला एवं पारदर्शी हो तथा सभी शामिल दलों के प्रति निष्पक्ष हो।

कर्मचारियों और प्रतिनिधियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसी कोई भी कार्यवाही, कथन अथवा आवेदकों, प्रस्तावकों, या विरोधकर्ताओं से संपर्क न हो जिसके द्वारा रियायतें प्रदान करने की सम्मति अथवा पक्षपातपूर्ण व्यवहार का तनिक भी सुझाव प्रकट हो।

कर्मचारियों और प्रतिनिधियों से विकास आवेदन पत्र की प्रक्रिया से संबद्ध किसी भी दल की सहायता के प्रस्ताव या अन्यथा की आशा नहीं की जानी चाहिए। कर्मचारी व्यवसायी देशवासी हैं तथा विकास आवेदन पत्र प्रक्रिया के सभी पहलुओं के साथ व्यावसायिक एवं नैतिक रीति से व्यवहार करेंगें।

परिषद संसाधन

परिषद संसाधनों को केवल परिषद हेतु तथा जनहित में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। परिषद के साथ व्यापार करने वाले कर्मचारी सदस्यों, प्रतिनिधियों एवं ग्राहकों से अपेक्षा है कि वे स्टाफ टाईम सहित परिषद संसाधनों के उपयोग एवं प्रबंधन में कुशल, किफायती और नैतिक होवें।

माध्यमिक अथवा भविष्य में कर्मचारी रोजगार

कर्मचारियों को माध्यमिक रोजगार के उत्तरदायित्व की प्राधिकृत नहीं होगी यदि इस प्रकार रोजगार सार्वजनिक भूमिका एवं कर्मचारी सदस्यों के निजी हितों के बीच वास्तविक अथवा संभावित हित के संघर्ष पैदा करने में सार्मथ्य है।

कर्मचारियों का कर्तव्य है लोक न्यास को बनाए रखना तथा व्यावसायिक रूप से संवेदनशील सूचना का उपयोग निजी क्षेत्र में भविष्य रोजगार अवसरों को सुगम बनाने के लिए न करना।

अनैतिक आचरण का प्रतिवेदन (व्हिसिलब्लोवर की नीति)

परिषद नैतिक आचरण को बढावा देने हेतु प्रतिबद्ध है। अनैतिक आचरण, धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार, कुप्रशासन या अपशिष्ट का प्रतिवेदन 9806 5055 पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी से अथवा 9806 5474 पर परिषद में सरकारी अधिकारी से किया जा सकता है।

भ्रष्ट आचरण, कुप्रशासन या अपशिष्ट प्रतिवेदित सरकारी अधिकारी संरक्षित प्रकटीकरण अधिनियम 1994 द्वारा संरक्षित किया जा सकता। यह अधिनियम उन सरकारी अधिकारियों को जो भ्रष्ट आचरण का प्रकटीकरण करते हैं आवृत्ति एवं हानिकारक कार्यवाही से संरक्षित करता है तथा प्रकटीकरण की समुचित रूप से जांच–परख सुनिश्चित करता है।

किसे संपर्क करें

मार्गदर्शक टिप्पड़ी अनेक सहायक नीतियों से युक्त है। यदि आप के पास व्यावसायिक आचार वक्तव्य अथवा इन नीतियों से संबंधित कोई प्रश्न है, यह आप पर कैसे लागू होती है सहित, तो कृपया 9806 5474 पर परिषद में सरकारी अधिकारी अथवा 9806 5055 पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी से संपर्क करें।